



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072024-255289
CG-DL-E-09072024-255289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2526]

No. 2526]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2024

का.आ. 2661(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, केंद्र सरकार कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) एवं सरकार के सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, तेलंगाना सरकार को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 225/106/2024-आईटीए-II]

रवीन्द्र मैनी, निदेशक